

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,

:: मंत्रालय ::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक /03/2012

क्र.: एफ-9-7/ तक.शि./42/2012, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से संबद्धता प्राप्त करने हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निरीक्षण समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1. बी.ई./एम.ई. पाठ्यक्रमों हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर
- iii- प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी
- iv- सेवानिवृत्त संचालक/अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ0ग0।

"या"

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय

2. फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- संचालक/विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर/गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0।
- iii- विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग, शासकीय कन्या पॉली. रायपुर
- iv- सेवानिवृत्त संचालक/अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ0ग0।

"या"

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, निजी फार्मेसी महाविद्यालय

3. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- विभागाध्यक्ष/व्याख्याता, आर्किटेक्चर, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, छ0ग0।
- iii- विभागाध्यक्ष आर्किटेक्चर विभाग, शासकीय कन्या पॉली., छ0ग0।
- iv- विभागाध्यक्ष आर्किटेक्चर विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छ0ग0।

"या"

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, निजी आर्किटेक्चर महाविद्यालय

4. डिप्लोमा इंजीनियरिंग (पॉलीटेक्निक) पाठ्यक्रम हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर / कोरबा / रायगढ़ / धमतरी।
- iii- वरिष्ठ व्याख्याता शासकीय इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक संस्था।
- iv- सेवानिवृत्त संचालक / अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ0ग0।

"या"

प्राचार्य / विभागाध्यक्ष, निजी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक संस्थाएं

5. मैनेजमेंट (MBA, PGDM & MOM) पाठ्यक्रमों हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- संचालक / विभागाध्यक्ष मैनेजमेंट विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर / गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0।
- iii- विभागाध्यक्ष एम.ओ.एम., शासकीय कन्या पॉली. रायपुर / शास. पॉली, दुर्ग।
- iv- सेवानिवृत्त संचालक / अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ0ग0।

"या"

प्राचार्य / विभागाध्यक्ष, निजी मैनेजमेंट पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय

6. MCA पाठ्यक्रम हेतु -

- i- संचालक तकनीकी शिक्षा का प्रतिनिधि
- ii- संचालक / विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर / गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0।
- iii- विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, छ0ग0
- iv- विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस, शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएं, छ0ग0

"या"

प्राचार्य / विभागाध्यक्ष, निजी MCA पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय

उपरोक्तानुसार समय-समय निरीक्षण समिति के लिए आवश्यकतानुसार संचालक, तकनीकी शिक्षा, द्वारा समिति नामित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त अधिकारी एवं निजी संस्था के अधिकारी का नामांकन शासन द्वारा किया जाएगा। किसी निजी संस्था के प्रतिनिधि को उसी संस्था के निरीक्षण के लिए नामित नहीं किया जावेगा। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा।

1/3/11

निरीक्षण हेतु कम से कम तीन सदस्यों का होना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण तिथि के एक सप्ताह के भीतर संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर जमा करना अनिवार्य है। निरीक्षण कार्य हेतु निरीक्षण समिति के प्रत्येक सदस्य को रुपये 1000/- प्रति संस्था/प्रति प्रोग्राम मानदेय देय होगा।



छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.डी. कुन्दानी)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर
A.D. (Acad.)
दिनांक 13-3-2012

संचालक
A.D. (Acad.)
13-3-12
Ad/6621

पृ.क्र.: एफ-9-7/ तक.शि./42/2012

रायपुर, दिनांक 07/03/2012

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़, बैरन बाजार, रायपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, श्यामला हिल्स, भोपाल (म0प्र0)।
4. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छ0ग0।
5. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग।
6. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. कुलसचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
8. मास्टर फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग